

215066 - ईसाइयों में से उस आदमी का हुक्म जिसने इस्लाम के बारे में नहीं सुना

प्रश्न

आप ने फत्वा संख्या : (10127) में उल्लेख किया है कि : जो व्यक्ति काफिर (नास्तिक) होकर मर गया, लेकिन उसने इस्लाम के बारे में नहीं सुना, और प्रयास के बावजूद वह सहीह दीन की जानकारी प्राप्त करने पर सक्षम नहीं हो सका, तो प्रलय के दिन उसका परीक्षण किया जायेगा। तो क्या यह उन काफिरों पर भी लागू होता है जिनका कुरआन करीम में वर्णन हुआ है, जैसे : वे ईसाई जो ईसा अलैहस्सलाम के ईश्वरत्व का दावा करते हैं? आप से उत्तर देने का अनुरोध है ताकि मैं अल्लाह की इच्छा से कुरआन करीम के अर्थों को सही ढंग से समझ सकूँ।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

जी हां, यह हुक्म उन सभी नास्तिकों (काफिरों) को सम्मिलित है जिन्हें नबीसल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का संदेश नहीं पहुँचा, और उन्होंने ने उसके बारे में बिल्कुल नहीं सुना, या उन्होंने उसके बारे में सहीह ढंग से नहीं सुना जिसके द्वारा उन पर हुज्जत कायम (तर्कस्थापित) हो सके, और वे नबुव्वत (ईशदूत्व) के प्रकाशक पहुँचने में सक्षम नहीं हो सके। यह अल्लाह की अपने बन्दों पर दया व करुणा है कि : उसने बन्दों को दंडित करने और उन पर हुज्जत (तर्क) स्थापित करने की इल्लत (कारण) : अपने संदेश का उन तक पहुँचना करार दिया है। अतः जिस व्यक्तिको पैगंबर का संदेश नहीं पहुँचा है, वह यातना का पात्र नहीं है। अल्लाह तआला का कथन है:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ
رَسُولًا ﴿[الإسراء: 15]

“जो कोई सीधा मार्ग अपनाए तो उसने अपने ही लिए सीधा मार्ग अपनाया और जो पथभ्रष्ट हुआ, तो उसके भटकने की हानि उसी के ऊपर है। और कोई भी बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और हम लोगों को यातना नहीं देते जब तक कोई रसूल न भेज दें।” (सूरतुल इसरा: 15).

तथा अल्लाह ने फरमाया :

رُسُلًا مَّبَشُرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿[سورة النساء : 165]

“रसूल शुभसमाचार देने वाले और सचेत करने वाले बनाकर भेजे गए हैं, ताकि रसूलों के पश्चात लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में (अपने निर्दोष होने का) कोई तर्क न रहे। अल्लाह अत्यन्त प्रभुत्वशाली, तत्वदर्शी है।” (सूरतुन निसा : 165)

तथा अल्लाह नेफरमाया :

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كَلِّشَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿[سورة المائدة : 19]

“ऐ किताबवालो! हमारा रसूलऐसे समय तुम्हारेपास आया है और तुम्हारेलिए (हमारा आदेश) खोल-खोलकरबयान करता है, जबकिरसूलों के आनेका सिलसिला एकमुद्दत से बन्दथा, ताकि तुम यहन कह सको कि “हमारेपास कोई शुभ-समाचारदेनेवाला और सचेतकरनेवाला नहींआया।” तो देखो! अबतुम्हारे पास शुभ-समाचारदेनेवाला और सचेतकरनेवाला आ गयाहै। अल्लाह कोहर चीज़ का सामर्थ्यप्राप्त है।” (सूरतुलमायदा : 19)

इस अर्थ की आयतेंबहुत हैं और सर्वज्ञातहैं।

तथा सहीह मुस्लिम(हदीस संख्या : 153)में अबू हुरैरारज़ियल्लाहु अन्हुसे वर्णित है किअल्लाह के पैगंबरसल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: “उस अस्तित्व कीकसम जिसके हाथमें मुहम्मद कीजान है, इस उम्मतका जो भी व्यक्ति] चाहे वह यहूदीहो या ईसाई, मेरेबारे में सुनताहै फिर वह मर जाताहै और उस चीज़ परईमान नहीं लाताजिसे देकर मैंभेजा गया हूँ तोवह नरकवासियोंमें से होगा।”

इससे पता चला किजिसके पास सन्देशोंका सन्देश नहींपहुँचा है, उसकेपास हुज्जत(तर्क) है जिसकेद्वारा वह अल्लाहके पास अपनी ओरसे बहस कर सकताहै,और उसकेज़रिया अपने आपसे यातना को हटासकता है।

तथा इस हदीस सेमालूम हुआ कि जिसनेनबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमके बारे में नहींसुना है, वह उन नरकवासियोंमें से नहीं हैजो उसके पात्रहैं।

शैखुल इस्लामइब्ने तैमिय्याने फरमाया : “यहाँपर एक मूल सिद्धांतहै जिसका वर्णनकरना ज़रूरी है,और वह यह है कि : शरीअतके नुसूस (मूलपाठ) इस बात को प्रमाणितकरते हैं कि अल्लाहतआला केवल उसीको यातना देताहै जिसकी ओर कोईपैगंबर भेजा होताहै जिसके द्वाराउस पर हुज्जत (तर्क)स्थापित हो जाताहै : अल्लाह तआलाने फरमाया :

وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَانَهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ' اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَسَبَتِمْسِكَ الْيَوْمَ ' عَلَيْكَ حَسِيبًا ' مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿[الإسراء : 13-15]

“हमने प्रत्येकमनुष्य का शकुन-अपशकुनउसकी अपनी गरदनसे बाँध दिया हैऔर क्रियामत केदिन हम उसके लिएएक किताब निकालेंगे,जिसको वह खुलाहुआ पाएगा। “पढ़ले अपनी किताब(कर्मपत्र)! आज तूस्वयं ही अपनाहिसाब लेने केलिए काफ़ी है।”जो कोई सीधा मार्गअपनाए तो उसनेअपने ही लिए सीधामार्ग अपनाया औरजो पथभ्रष्ट हुआ,तो उसके भटकनेका भार उसी केऊपर है।

और कोईभी बोझ उठानेवालाकिसी दूसरे काबोझ नहीं उठाएगा।और हम लोगों कोयातना नहीं देतेजब तक कोई रसूलन भेज दें।”
(सूरतुलइसरा : 13-15)

तथा अल्लाह नेफरमाया :

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ رُمًّا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خِرْنِثَهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ ۖ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَٰنَاكَافِرِينَ ۖ ﴿٧١﴾ [الزمر]

“जिन लोगोंने इनकार कियाएवे गिरोह के गिरोहजहन्नम की ओर लेजाए जाँएगे, यहाँतक कि जब वे वहाँपहुँचेगे तो उसकेद्वार खोल दिएजाँएगे और उसकेपहरेदार उनसे कहेंगे, “क्या तुम्हारेपास तुम्हीं मेंसे रसूल नहीं आएथे जो तुम्हेंतुम्हारे रब कीआयतें सुनाते रहेहों और तुम्हेंइस दिन की मुलाक़ातसे सचेत करते रहेहों?” वेकहेंगे, “क्योंनहीं (वे तो आए थे)।”किन्तु इनकार करनेवालोंपर यातना की बातसत्यापित होकररही।” (सूरतुज़ जुमर: 71)

तथा फरमाया :

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَٰهَدْنَا عَلَىٰ ۖ أَنفُسِنَا وَعَرَّثْنَاهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَٰهَدُوا عَلَٰنَفْسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ۖ ﴿١٣٠﴾ [الأنعام]

“ऐ जिन्नोंऔर मनुष्यों केगिरोह! क्या तुम्हारेपास तुम्हीं मेंसे रसूल नहीं आएथे, जो तुम्हेंमेरी आयतें सुनातेऔर इस दिन के पेशआने से तुम्हेंडराते थे?” वे कहेंगे, “क्यों नहीं! (रसूलतो आए थे) हम स्वयंअपने विरुद्ध गवाहहै।” उन्हें तोसांसारिक जीवनने धोखे में रखा।मगर अब वे स्वयंअपने विरुद्ध गवाहीदेने लगे कि वेइनकार करनेवालेथे।” (सूरतुल अनआम: 130)

तथा फरमाया :

وَمَا كَانَتْ رُبُّكَ مُهْلِكَ الْقَرْيَ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقَرْيَ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ۖ ﴿٥٩﴾ [القصص]

“तेरा रबतो बस्तियों कोविनष्ट करनेवालानहीं जब तक कि उनकीकेन्द्रीय बस्तीमें कोई रसूल नभेज देए जो हमारीआयतें सुनाए। औरहम बस्तियों कोविनष्ट करनेवालेनहीं सिवाय इसस्थिति के कि वहाँके रहनेवाले ज़ालिमहों।” (सूरतुल क़सस: 59)

और जब मामला ऐसेही है : तो यह बातसर्वज्ञात है किकुरआन के द्वाराउसी पर हुज्जतक्रायम होती है जिसेवह पहुँचा हो, जैसाकिअल्लाह तआला काफरमान है :

لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۖ ﴿١٩﴾ [الأنعام]

“ताकि मैं इसके द्वारा तुम्हें सचेत कर दूँ। और जिस किसी को यह पहुँचे।” (सूरतुलअनआम : 19).

अतः जिसे कुरआनका कुछ हिस्सापहुँचा उस पर उतनीहुज्जत क्रायम होगई जितना हिस्साउसे पहुँचा है। जो हिस्सा उसे नहीं पहुँचा है उसकी हुज्जतउस पर क्रायम नहींहुई।

यदि कुछ आयतोंका अर्थ संदिग्धहो जाए, और लोगआयत की व्याख्याके बारे में मतभेदकरें : तो जिस बारेमें उन्होंने नेमतभेद किया है उसे अल्लाह औरउसके रसूल की ओरलौटाना अनिवार्यहै।

जब लोग रसूल सल्लल्लाहुअलैहि व सल्लमके मुराद (आशय) औरउद्देश्य को समझनेमें भरपूर प्रयासकरें : तो सही हुक्मतक पहुँचने वालेके लिए दोहरा अज्रव सवाब है, और गलती करने वाले(यानी सही हुक्मसे चूक जाने वाले)के लिए एक अज्रव सवाब है। इसलिएही बात हमसे पहलेके अहले किताबके बारे में कहनेमें कोई रूकावटनहीं है : चुनांचेहमसे पहले लोगोंमें से जिसे किताबके सभी नुसूस(मूल पाठ) नहीं पहुँचे: तो उसे जो चीज़ पहुँचीहै केवल उतनी हीचीज़ों के बारेमें उस पर हुज्जतक्रायम होगी, और उसमेंजिसका उर्थ उसपर गुप्त रह गया, फिर उसने उसकीजानकारी करने में भरपूर प्रयास किया: तो जो व्यक्तिसही हुक्म तक पहुँचगया उसके लिए दोहराअज्र व सवाब है, और जो गलती कर गया(चूक गया) तो उसकेलिए एक अज्र है, और उसकी गलती माफहै।

लेकिन जिसने जानबूझकरकिताब के शब्दया अर्थ में परिवर्तनकिया, और पैगंबरके लिए हुए संदेशको जान-पहचान लिया, फिर भी उससे हठधर्मीकी : तो ऐसा आदमीदण्ड और यातनाका पात्र है। इसीतरह वह आदमी भीहै जिसने अपनीइच्छा का पालनकरते हुए, दुनिया में लीनहोकर, सत्य को ढूँढनेऔर उसका अनुसरणकरने में कोताहीसे काम लिया।

इस आधार पर :

यदि कुछ अहले किताबने अपने धार्मिकपुस्तक में कुछपरिवर्तन किया, और उनमें कुछ दूसरेलोग हैं जो इस चीज़को नहीं जानते, अतः वे जो कुछ पैगंबरलेकर आए हैं उसकीपैरवी करने में भरपूर प्रयास करनेवाले हैं : तो इनलोगों को वईद (सज़ाकी धमकी) के पात्रलोगों में से करारदेना ज़रूरी नहींहै।

जब अहले किताबमें ऐसे व्यक्तिका होना जायज़ (संभावित)है जो मसीह की लाईहुई सभी शिक्षाओंको नहीं जानता है, बल्कि उसके ऊपरउनकी लाई हुई कुछशिक्षाया उसके कुछ अर्थगुप्त रह गए, फिरउसने भरपूर प्रयासकिया : तो जो चीज़उस तक नहीं पहुँचीहै उस पर उसे दंडितनहीं किया जायेगा। और वे यहूद जो तुब्बअके साथ थे, तथा मदीनावालों में से वेलोग जो मुहम्मदसल्लल्लाहु अलैहिव सल्लमपर ईमान लानेकी प्रतीक्षा कररहे थे, जैसेइब्ने तैयिहानआदि, उनके समाचारको इसी पर अनुमानितकिया जा सकता है; और यह कि वेमसीह अलैहिस्सलामको अपने अलावाअन्य यहूद की तरहझुठलाने वाले नहींथे।

तथा लोगों नेइस बारे में मतभेदकिया है कि : क्या भरपूर प्रयास औरकठिन परिश्रम करनेके बावजूद यह संभवहै कि तर्क स्थापितकरनेवाले प्रतिदर्शिके लिए पैगंबरकी सच्चाई स्पष्टन हो, या कि ऐसासंभव नहीं है?

और यदि उसके लिए ऐसा स्पष्ट न होसका तो क्या वह परलोक में सज़ाका पात्र है यानहीं?

तथा कुछ लोगोंने उनमें से मुकल्लिद(अनुकर्ता) के बारमें भी मतभेद कियाहै।

यहाँ पर बात दोस्थानों में है:

पहला स्थान : सत्यके विरोधी की गलतीऔर उसकी पथ भ्रष्टताके वर्णन में ; औरयह बौद्धिक औरधार्मिक कई तरीकों(विधियों) से जानाजाता है,तथा सत्य के विरोधीबहुत से अह्लेकिबला और गैर अह्लेकिबला के बहुतसे कथनों में गलती(त्रुटि) को विविधप्रकार के प्रमाणोंसे जाना जा सकताहै।

दूसरा स्थान : उनकेकुफ्र (नास्तिकता)और आखिरत में वईद(सज़ा के वादे) कापात्र होने केबारे में बात।

तो इसके बारे मेंसुप्रसिद्ध इमामों; मालिक,शाफेईऔर अहमद के अनुयायियोंके तीन कथन हैं: एक कथन यह है कि: जो ईमान नहीं लायाहै उसे नरक की आगमें यातना दियाजायेगा, अगरचेउसकी ओर कोई सन्देष्टान भेजा गया हो।क्योंकि बुद्धिके द्वारा उस परहुज्जत कायम होचुकी है। यही अबूहनीफा और उनकेअलावा के अनुयायियोंमें से अह्ले कलामव फिक्ह में सेबौद्धिक हुक्मके मानने वालोंमें से बहुत सेलोगों का कथन है,और इसी को अबुलखत्ताब ने चयनकिया है। तथा एकदूसरा कथन यह हैकि : उसके ऊपर बुद्धिके द्वारा हुज्जतज़रूरी नहीं है;बल्कि उसकेलिए उस व्यक्तिको यातना देनाजायज़ है जिसकेऊपर हुज्जत कायम(स्थापित) नहींहुई है, न बुद्धिके द्वारा न शरीअतके द्वारा। यहउन लोगों का कथनहै जिन्होंने काफिरों के बच्चोंऔर उनके पागलोंको यातना देनेको वैद्ध ठहरायाहै। यह बहुत सेअहले कलाम, जैसेजह्न, अबुल हसनअल-अशअरी और उनकेअनुयायियों, काज़ीअबू याला और इब्नेअक्रील इत्यादि काकथन है।

तीसरा कथन : और यहीसलफ और इमामोंका मत है कि : केवलउसी को सज़ा दी जायेगीजिसे अल्लाह कासंदेश पहुँच चुकाहै,और केवलउसी को सज़ा दी जायेगीजिसने सन्देष्टाओंका विरोध कियाहै ; जैसा कि किताबव सुन्नत के प्रमाणइस बात को दर्शातेहैं ; अल्लाह तआलाने इबलीस से कहा:

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ جَمْعِينَ ﴿[ص : 85]﴾

“मैं जहन्नमको तुझसे और उनसबसे भर दूँगा,जिन्होंने उनमेंसे तेरा अनुसरणकिया होगा।” (सूरतसाद : 85)

और जब ऐसी बात है; तो हम जिस चीज़ केअंदर अह्ले किताबके पहले और बादके लोगों से तर्क-वितर्ककरते हैं : तो कभीपहले स्थान मेंबात करते हैं, औरवह उनके सत्य काविरोद्ध करनेका, और उनकी अनभिज्ञताव अज्ञानता औरउनकी पथ भ्रष्टताका उल्लेख और वर्णनहै, तो यह सभी शरईऔर बौद्धिक प्रमाणोंसे सचेत करना है।

और कभी-कभी हम उनकीउस नास्तिकता कावर्णन करते हैंजिसकी वजह से वेलोक और परलोक मेंयातना और सज़ा केपात्र बनते हैं,तो इसका मामलाअल्लाह और उसकेरसूल की ओर है, इसकेबारे में केवलवही बात कही जायेगीजिसकी सन्देष्टाओंने सूचना दी है।

जिस तरह कि हम ईमान और जन्नत की शहादतकेवल उसी के लिए देते हैं जिसके लिए पैगंबरों ने शहादत दी है।

जिस व्यक्ति पर दुनिया में पैगंबरों के संदेश के द्वारा हुज्जत कायम नहीं हुई है, जैसे बच्चे, पागल लोग, और दो पैगंबरों के बीच की अवधि वाले लोग : तो इनके बारे में कई कथन हैं : जिनमें सबसे स्पष्ट वह है जिसके बारे में आसार (हदीस) वर्णित हैं कि : उन्हें क्रियामत के दिन परीक्षित किया जायेगा, चुनांचे अल्लाह उनकी ओर किसी को भेजे गा जो उन्हें अपनी आज्ञापालन का आदेश देगा। यदि उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया, तो वे पुण्य के पात्र होंगे और यदि उन्होंने उसकी अवज्ञा की, तो वे अज़ाब के पात्र बनेंगे।”

”अल-जवाबुस्सहीह लिमन बद्ला दीन लमसीह” (2/291 - 298) से संक्षेप के साथ समाप्त हुआ।

तथा अधिक लाभ के लिए, प्रश्न संख्या: (194157) का उत्तर देखें।

और अल्लह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।